भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1899** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागर सेतु ऐप पर कार्यशाला

†1899. श्री केसिनेनी शिवनाथ :
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर सेतु ऐप के कार्यान्वयन और उसे अपनाने के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सागर सेतु ऐप के उपयोगकर्ताओं/हितधारकों की संख्या और ब्यौरा तथा व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को इससे होने वाले लाभ, जिसमें अनुमोदन के लिए लगने वाला समय और संचालन की दृश्यता शामिल है, आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त ऐप पर अनुमोदित किए जा रहे व्यापार लेनदेन की मात्रा, आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी है;
(घ) प्राप्त किए गए शिकायतों की संख्या और उनके निवारण में लगे समय को दर्शाते हुए उक्त ऐप के रोल आउट और संचालन के दौरान दर्ज की गईं समस्या/चुनौतियां क्या है;
(ङ) क्या ऐप के उपयोग से परिचित कराने के लिए कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं; और
(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागर सेतु का भारत के सभी 13 महापत्तनों और 41 गैर-महापत्तनों के साथ एकीकरण हासिल कर लिया गया है। महापत्तनों और गैर-महापत्तनों का विवरण **अनुबंध-I** दिया गया है।

(ख): सागर सेतु एप्लीकेशन ने भारत के भीतर विविध भैगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए 21,000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं का आधार जुटा लिया है। सागर सेतु एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं /हितधारकों का क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इन उपयोगकर्ताओं में पत्तन प्राधिकरण, पत्तन प्राधिकरण, नौवहन एजेंट, टर्मिनल प्रचालक, सीमा-शुल्क हाउस एजेंट (सीएचए) जैसे सेवा प्रदाता,

आयातक/निर्यातक आदि शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सहित उपयोगकर्ताओं की संख्या का राज्य–वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सागर सेतु के लाभ निम्नानुसार हैं:

1. रियल टाइम डाटा आदान-प्रदान से दीर्घावधि में निम्नलिखित को संभव बनाया जा सकेगा:

   क. आयातकों, निर्यातकों, सीमा-शुल्क ब्रोकरों और माल-भाड़ा अग्रेषकों के लिए सभी प्रमुख गतिविधियां संचालित करने के लिए एकल प्लेटफार्म;

   ख. स्व-निकासी डिजिटल रूप से करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक कार्यशीलता तथा संरक्षकों के साथ ऑनलाइन लेन-देन;

   ग. सभी संबंधित हितधारकों, बड़े और छोटे दोनों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना;

   घ. प्रत्येक स्तर पर अधिसूचनाओं के साथ शिपमेंट्स की संपूर्ण घरेलू निगरानी;

   ङ. गतिविधियों के संबंध में रीयल-टाइम सूचना;

   च. सरकार-से-व्यापार संबंधों और ईज-ऑफ-डूईंग बिजनेस में पारदर्शिता में वृद्धि;

   छ. व्यापार और लॉजिस्टिक्स प्रचालनों के निष्पादन के लिए लागतों और समय-सीमाओं में कमी; और

   ज. बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और आंकड़ा विश्लेषण के साथ सभी हितधारकों के लिए कागज रहित लेनदेन।

2. नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन की दृश्यता हितधारक-वार दर्शाई गई है:

   क. **पत्तन एवं टर्मिनल प्रचालक**: सभी 13 महापत्तन (अपनी टर्मिनल प्रचालन प्रणाली, टीओएस/पत्तन प्रचालन प्रणाली, पीओएस) और 41 गैर-महापत्तन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन (एनएलपी-एम) से एकीकृत हैं। महापत्तनों में लगभग सभी टर्मिनल प्रचालकों को शामिल कर दिया गया है।

   ख. **सीमा-शुल्क**: भारतीय सीमा-शुल्क इलैक्ट्रॉनिक्स गेटवे के साथ एकीकरण (आईसीईजीएटीई) सीमा-शुल्क और पत्तनों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं के इलैक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को सरल एवं कारगर बनाता है।

   ग. **पत्तन स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) मॉड्यूल**: पीएचओ मॉड्यूल का उपयोग करते हुए पीएचओ प्रमाण-पत्रों को अनुमोदित और जारी कर सकता है, तथा सूचनाएं पत्तन अधिकारियों को भेजी जाएंगी। पत्तनों पर पीएचओ को निःशुल्क प्रैटिक और स्वास्थ्य घोषणा प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध सागर सेतु के माध्यम से उपलब्ध हैं।

घ. **वाणिज्यिक समुद्री विभाग (एमएमडी) मॉड्यूल**: एमएमडी निरीक्षकों, पत्तन प्राधिकारियों और अन्य हितधारकों को जलयान को कब्जे में लेने और इसे छोड़े जाने से संबंधित सूचना का रीयल-टाइम और ऑनलाइन आदान-प्रदान।

ङ. **भारतीय रेलवे**: समुद्री यात्रा पंजीकरण को साझा करने,इलैक्ट्रॉनिक वेरीफाइड ग्रॉस मार्जन (ईवीजीएम), बर्थ आबंटन, कंटेनर विलंबन और थोक विलंबन के लिए सागर सेतु के द्वारा संदेशों को माल-भाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) के साथ एकीकृत किया गया है।

च. **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी)**: यूएलआईपी और सागर सेतु के बीच विभिन्न संदेशों को एकीकृत किया गया है।

छ. **दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल)**: डीजीएलएल मॉड्यूल को विकसित किया गया है और यह सागर सेतु पर दीपस्तंभ देय प्रभार के भुगतान की स्थिति पर सूचना उपलब्ध कराता है।

ज. **बैंक**: व्यापार जगत की ओर से सरकारी (बी2जी) लेन-देन के लिए बहुत से बैंकों को सागर सेतु में शामिल किया गया है। सागर सेतु के प्लेटफार्म में व्यापार जगत से व्यापार जगत (बी2बी) लेने-देन को कार्यान्वित करने की भी योजना है।

3. पत्तन प्रचालनों और दक्षता में सुधार लाना:

क. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) को मुख्य पत्तन परिचालनों की मेट्रिक्स और निगरानी दक्षता की दृश्यता के साथ 98 संदेशों को एनएलपी-एम पर एकीकृत किया गया है।

ख. पीएचओ हेतु निःशुल्क प्रैटिक और स्वास्थ्य घोषणा प्रमाण प्रपत्रों की प्रक्रियाओं को मैनुअल से एनएलपी-एम पर पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है, जिससे अधिकतर महापत्तनों में प्रक्रिया समय अत्यधिक घटकर पांच घंटे रह गया है।

ग. सागर सेतु में उपलब्ध आंकड़ों से जलयान की स्वीकृति के समय, यात्रा ट्रैकिंग, तथा चालक दल और कार्गो के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है, जिससे पत्तनों को अपने टर्नअराउंड समय में सुधार करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

(ग): वित वर्ष 2024 में सागर सेतु पर लगभग 69 लाख संदेशों का आदान-प्रदान हुआ था। सागर सेतु प्लेटफार्म पर किए गए वित्तीय लेन-देनों की कुल कीमत लगभग 12,000+ करोड़ रु. थी।

सूचना आदान-प्रदान का पत्तन/आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** दिया गया है।

(घ): प्रचालन तथा तकनीकी सहायता, दोनों के लिए एक सागर सेतु हेल्प डेस्क 24/7 टीम कार्य करती है। औसतन लगभग 1300 पूछताछ और मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए मुख्य मामले निम्नानुसार हैं:

i. इलैक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) फाइलों के आदान-प्रदान से जुड़ी चुनौतियां;

ii. सीमा-शुल्क के साथ एकीकरण (आईसीईजीएटीई) से संबंधित कठिनाइयां;

iii. सीओपीआरएआर (कंटेनर प्री-एराइवल रिपोर्ट) संदेशों की प्राप्ति से संबंधित कठिनाइयां; और

iv. उपयोगकर्ता पंजीकरण और लॉगइन, भुगतान प्रक्रियाओं आदि सहित एप्लीकेशन से कम संबंधित विभिन्न मामले।

किसी मामले का समाधान करने का औसत समय लगभग चार दिन है।

(ङ): कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें अगस्त 2022 में कॉन्फ्रेंस रूम पायलट सत्र, अगस्त 2023 में पत्तन फीडबैक सत्र और सितंबर 2023 में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) डेमो सत्र जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। इन निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा, उपयोगकर्ताओं को सागर सेतु एप्लिकेशन के बारे में शिक्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार बीस्पोक सत्र भी पेश किए जाते हैं। पत्तन प्राधिकरणों, नियामक निकायों और नौवहन एजेंटों सहित हितधारकों के अनुरोध पर नियमित रूप से अनुकूलित सत्र प्रदान किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एप्लिकेशन का उपयोग करने में पारंगत हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को उनके संचालन के दौरान आने वाली किसी भी समस्या पर चर्चा और समाधान करने के लिए विभिन्न व्यापार संघों के नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक और मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। सागर सेतु उपयोगकर्ता गाइड और वीडियो ट्यूटोरियल की एक श्रृंखला भी प्रदान करता है, जो आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

(च): कार्याशाला/प्रशिक्षण आयोजित करना एक आवधिक तथा सतत प्रक्रिया है।

अनुबंध-I

सागर सेतु में शामिल भारत के महापत्तनों और गैर-महापत्तनों का विवरण।

सागर सेतु में शामिल महापत्तनों की सूची:

क्र. सं.	पत्तन का नाम	राज्य
1	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण	तमिलनाडु
2	वीओचिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण	तमिलनाडु
3	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	तमिलनाडु
4	मुंबई पत्तन प्राधिकरण	महाराष्ट्र
5	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	महाराष्ट्र
6	कोचीन पत्तन प्राधिकरण	केरल
7	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	आंध्र प्रदेश
8	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	कर्नाटक
9	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	ओडिशा
10	एसएमपीए हल्दिया डॉक परिसर	पश्चिम बंगाल
11	एसएमपीए कोलकाता डॉक प्रणाली	पश्चिम बंगाल
12	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	गुजरात
13	मुरगांव पत्तन	गोवा

सागर सेतु में शामिल गैर-महापत्तनों की सूची:

क्र. सं.	पत्तन का नाम	राज्य
1	काकीनाडा सीपोर्ट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
2	कृष्णापट्टनम पत्तन	आंध्र प्रदेश
3	अदानी गंगावरम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
4	काकीनाडा एंकरेज पत्तन	आंध्र प्रदेश
5	काकीनाडा डीप वाटर पत्तन (केडीडब्ल्यूपी)	आंध्र प्रदेश
6	रवा पत्तन (टर्मिनल)	आंध्र प्रदेश
7	पणजी पत्तन	गोवा
8	अडानी पेट्रोनेट (दहेज) पत्तन	गुजरात
9	हजीरा पत्तन	गुजरात
10	मगदाल्ला पत्तन समूह	गुजरात
11	मुंद्रा पत्तन	गुजरात
12	पिपावाव पत्तन	गुजरात
13	सिका पत्तन	गुजरात
14	एएमएनएस पत्तन हजीरा	गुजरात
15	गुजरात केमिकल पोर्ट लिमिटेड, दहेज	गुजरात
16	एस्सार बल्क टर्मिनल (सलाया) लिमिटेड	गुजरात
17	दाहेज हार्बर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	गुजरात
18	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जीसीडब्ल्यू,	गुजरात

क्र. सं.	पत्तन का नाम	राज्य
	कोवाया	
19	भोगट पत्तन सुविधा - वेदांता लिमिटेड	गुजरात
20	भावनगर पत्तन	गुजरात
21	विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन	केरल
22	कोल्लम पत्तन	केरल
23	बेपोर पत्तन	केरल
24	विझिंजम पत्तन	केरल
25	अझिक्कल पत्तन	केरल
26	बैंकोट पत्तन	महाराष्ट्र
27	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
28	धरमतार पत्तन	महाराष्ट्र
29	दहानु पत्तन	महाराष्ट्र
30	आंग्रे पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
31	जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पत्तन	महाराष्ट्र
32	रेडी पोर्ट लिमिटेड	महाराष्ट्र
33	रानपार	महाराष्ट्र
34	इंडो इंजी प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
35	जेएसडब्ल्यू रेवदंडा पत्तन	महाराष्ट्र
36	दिघी पोर्ट लिमिटेड	महाराष्ट्र
37	करंजा टर्मिनल एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र
38	धामरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा
39	गोपालपुर पत्तन	ओडिशा
40	कट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु
41	एमआईडीपीएल कट्टुपल्ली पत्तन	तमिलनाडु

अनुबंध- II

एप्लिकेशन का उपयोग करने वाले हितधारकों का क्षेत्रवार विवरण:

क्र. सं.	हितधारक	संख्या
1	आयातक/निर्यातक	7519
2	सीमा शुल्क ब्रोकर	5685
3	नौवहन एजेंट	4619
4	आयातक	792
5	कंटेनर एजेंट	645
6	जलयान पर का माल उतारने-चढ़ाने वाला (स्टीवडोर)	379
7	खाली यार्ड प्रचालक	222
8	पोत चांडलर्स	192
9	शिपिंग लाइन	184
10	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	178
11	पत्तन प्रचालन	109
12	माल ढुलाई प्रेषक	105
13	निर्यातक	104
14	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो	95
15	गैर-जलयान प्रचालन कॉमन कैरियर	85
16	टर्मिनल प्रचालक - समुद्र	80
17	रेल परिवहन	64
18	पत्तन प्राधिकरण	61
19	सड़क परिवहन प्रचालक	34
20	नियामक प्राधिकरण	31
21	सर्वेक्षक	27
22	बार्ज प्रचालक	25
23	पत्तन स्वास्थ्य संगठन	21
24	पोर्ट मरीन	20
25	तटरक्षक बल / भारतीय नौसेना	19
26	आईसीडी शिपिंग लाइन	19
27	रेल परिवहन प्रचालक	18
28	पत्तन वित्त	16
29	वाणिज्यिक समुद्री विभाग	15
30	बंकर आपूर्तिकर्ता	14
31	लैच-ऑन सेवा प्रदाता	14
32	आईडब्ल्यू-जलयान प्रचालक	13
33	एसए प्रशासक	11
34	बैंक	9
35	अंतर्देशीय जलमार्ग	8
36	पत्तन यातायात	8
37	कंटेनर ट्रेन प्रचालक	6
38	नौवहन महानिदेशालय	4
39	एचएमसी प्रचालक	4
40	तटीय कार्गो हितधारक	3

क्र. सं.	हितधारक	संख्या
41	विनियामक प्रचालन	3
42	टैंक फार्म प्रचालक	3
43	प्लांट क्वारंटीन संगठन	1
44	निर्यात संवर्धन परिषद	2
45	भारतीय सीमा शुल्क	2
46	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी)	2
47	दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय	1
48	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	1
49	माल परिचालन सूचना प्रणाली	1

अनुबंध- III

सागर सेतु ऐप का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की राज्यवार संख्या:

क्र. सं.	राज्य	हितधारकों की संख्या
1	महाराष्ट्र	10285
2	पश्चिम बंगाल	3614
3	तमिलनाडु	1804
4	आंध्र प्रदेश	1286
5	गुजरात	1123
6	केरल	695
7	ओडिशा	483
8	कर्नाटक	249
9	गोवा	199

अनुबंध- IV

संदेश आदान-प्रदान (वित्त वर्ष 24 के दौरान):

क्र. सं.	पत्तन का नाम	राज्य	कुल (लाख में)
1	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण	तमिलनाडु	29.4
2	वीओचिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण		
3	कामराजर पोर्ट लिमिटेड		
4	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	महाराष्ट्र	15.6
5	मुंबई पत्तन प्राधिकरण		
6	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	आंध्र प्रदेश	9.5
7	एसएमपीए केडीएस	पश्चिम बंगाल	9.3
8	एसएमपीए एचडीसी		
9	कोचीन पत्तन प्राधिकरण	केरल	1.9
10	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	गुजरात	1.9
11	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	कर्नाटक	0.8
12	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	ओडिशा	0.6
13	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण	गोवा	0.2

*****